



19/6/24

पत्रावली पेशी में ली गई। वही कार्य यह प्रार्थना/वाक्य
पर चारा 88 रात में पेश कर निर्देश किया
कि चक 51 N/C खाता वं. नं. 164 में वही का
नाम अमरवीर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह वर्त रिपोर्ट
जा गलत है इसलिए वही का सही नाम उक्त
खाता है अमरीक सिंह उर्फ अमरवीर सिंह पुत्र
प्रीतम सिंह वर्त राजस्व रिपोर्ट किया जावे।
साक्ष्य के तौर पर आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज
संबंधित वाद पत्र पेश किए।
दफ्तर में पत्रावली का अवलोकन किया व रजिस्टर
उद्घुमानगढ़ के मौका रिपोर्ट तय की गई।
तद्विषयक उद्घुमानगढ़ के  वाक्य दिनांक 25/5/24
पेश कर साक्ष्य सुश्रुति रखते हुए वाद
निष्पत्ति का निर्देश किया।

शामिल गिल्लण जमावें खाता डा/9 - चक 12 LKS
खाता सं. 51/3 - चक 12 LKS खाता सं. 52/19
- चक 12 LKS खाता सं. 3/3 - चक 19 LKWA(A)
में वाही का नाम अमरीक सिंह दर्ज है मतदाता
पहचान पत्र R5102/0101 393190 पुराना अमरवीर
सिंह और मही नंबर का मतदाता पहचान पत्र
अमरीक सिंह अंकित है। आधार कार्ड 22666183
9637 में अमरीक सिंह दर्ज अंकित है। पेश
दस्तावेजों के वाही अमरीक सिंह वरुण प्रीतम
सिंह साक्षित होती हैं। कृपया उक्त
आधार पर चक 51/MJAT खाता सं. 1/164
तादाही 1.05000 में हिस्सा 253/555 में
दर्ज खातेदार अमरवीर सिंह वरुण प्रीतम सिंह
की जागह अमरीक सिंह उर्फ अमरवीर सिंह
वरुण प्रीतम सिंह दर्ज राजस्व रिकॉर्ड कले
के आदेश दिए जाने हैं। तदुपरील आद
दनुमानगढ आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में
अंकन करावे। पश्चापकी नंबर के काम
की जागह काविल कफ़लर की जाती
है आदेश दुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

प्रमाणित
है